



**NALSA (ASHA- Awareness, Support, Help and Action)  
Standard Operating Procedure-Towards Eliminating  
CHILD MARRIAGE, 2025**

**NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY**





**राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**  
**NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY**  
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

**एस. सी. मुनघाटे**  
**S. C. MUNGHATE**  
(Principal District Judge)  
**सदस्य सचिव**  
**MEMBER SECRETARY**  
(In-charge)

B-Block, Ground Floor,  
Administrative Buildings Complex,  
Supreme Court of India, New Delhi-110001

Ground Floor, Double Storey,  
Jaisalmer House, 26, Mansingh Road,  
New Delhi-110011

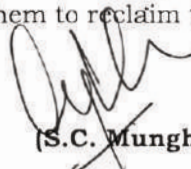
**MESSAGE**

Children are the foundation of our future. India is home to nearly 19% of the world's children, making the protection of their rights not just a responsibility but a necessity for a better tomorrow. However, Children globally face numerous challenges, one prominent challenge is the challenge of child marriage.

Child marriage in India is a serious social problem as well as a criminal offence. A report by a leading global agency reveals that India is home to one-third of the world's child brides, making it the country with the highest number of women and girls married in childhood. Child marriage significantly impacts the well-being and health of children.

Acknowledging the urgency of addressing the issue of child marriage, the Supreme Court has deliberated on the issue in its judgment. Recently, in *Society of Enlightenment and Voluntary Action & Anr. v. Union of India*, (2024 INSC 790) the Supreme Court issued comprehensive guidelines and directives aimed at preventing child marriages, rehabilitating victims, and facilitating their reintegration into society. In compliance with this judgment, the National Legal Services Authority of India (NALSA) prepared this Standard Operating Procedure *NALSA ASHA (Awareness, Support, Help, and Action) Standard Operating Procedure-Towards Eliminating Child Marriage, 2025*. This SOP aims to create an institutional framework to tackle the issue of child marriage. It establishes a standardized, effective, and legally robust approach to preventing child marriages, safeguarding children's rights, and raising awareness within communities. Enhancing accountability and coordination among stakeholders, it ensures the efficient enforcement of laws and provides comprehensive support to those affected.

May 'ASHA' truly bring hope to those affected, empowering them to reclaim their future.

  
(S.C. Munghate)



## **INDEX**

| <b>S.No.</b> | <b>Particulars</b>                                   | <b>Page No.</b> |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.           | Background                                           | 7               |
| 2.           | Objectives of the Standard Operating Procedure       | 8               |
| 3.           | Definitions                                          | 9               |
| 4.           | ASHA (Awareness, Support, Help, and Action) Unit     | 10              |
| 5.           | Guidelines for Panel Lawyers & Para-legal Volunteers | 11              |
| 6.           | Prevention of Child Marriages                        | 12              |
| 7.           | Rehabilitation                                       | 15              |
| 8.           | Compliance Mechanism & Impact Assessment             | 16              |



## 1. **Background**

1. Child Marriage in India is a social menace as well as a criminal offence. The United Nations Children's Fund (UNICEF) report of 2023<sup>1</sup> reveals that India accounts for one in three of the world's child brides. India is home to the largest number of girls and women who married in childhood. According to UNICEF, about 23% of women between 20 and 24 were married before they turned 18 (27% in rural areas and 14% in urban areas).<sup>2</sup>
2. The UNICEF report further highlights that child brides include girls who marry before 18 and women who were married as children. The prevalence of child marriage varies across states and union territories in India, influenced by local customs and community structure. For instance, at least 40 percent of young women were married before turning 18 in West Bengal, Bihar, and Tripura, compared to 1% in Lakshadweep.<sup>3</sup>
3. Child marriage has several implications for the life and health of the children. The World Health Organisation, in a report dealing with the issue of child brides, found that though 11 % of the births worldwide are amongst adolescents, they account for 23% of the overall burden of diseases. Therefore, a child bride is doubly prone to health problems than a grown-up woman.<sup>4</sup> Furthermore, another leading global body, the World Bank, reveals that child marriage is the main factor leading to early childbirth, with one assessment of 25 countries showing that an estimated 84 percent of mothers under the age of 18 had been married as children.<sup>5</sup>
4. The 2011 Census estimated that nearly 17 million children in the age group of 10–19 years were married in India. The National Family Health Survey 2019-21 (NHFS) estimates that 23.3 percent of women aged 20-24 were married before the age of 18 years.<sup>6</sup> A recent report by the National Commission for the Protection of Child Rights (NCPCR) has identified that more than 11.4 lakh children are vulnerable to child marriage.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Ending Child Marriage: A profile of progress in India (UNICEF 2023) <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india-2023/> (Last accessed 20.12.2024)

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> World Health Organisation Report on “Early Marriages, Adolescent and Young Pregnancies”, Sixty-Fifth World Health Assembly ([https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/wha65/a65\\_13-en.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha65/a65_13-en.pdf)) (Last accessed 20.12.2024)

<sup>5</sup> Helene Gayle, John Hammergren, Her Health, Her Lifetime, Her World Unlocking the Potential of Adolescent Girls and Young Women Centre for Strategic & International Studies [https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170317\\_Gayle\\_UnlockingThePotential\\_Web.pdf](https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170317_Gayle_UnlockingThePotential_Web.pdf) (Last accessed 20.12.2024)

<sup>6</sup> Sandeep Chachra & Ghasiram Panda Ending Child Marriage in India- Reflections on the Recent Supreme Court Judgement <https://www.actionaidindia.org/ending-child-marriage-in-india-reflections-on-the-recent-supreme-court-judgement/> (Last accessed 20.12.2024)

<sup>7</sup> Ibid

5. Recognizing this as an urgent area of intervention, the Supreme Court discussed the issue of child marriage in its judgments. In *Independent Thought v. Union of India*<sup>8</sup>, the Supreme Court recognized the evil of Child Marriage and held that child marriage denies girls equality in all aspects of their lives, including health, education, and economic self-sufficiency.
6. Recently, the Supreme Court in the *Society of Enlightenment and Voluntary Action & Anr. v. Union of India*<sup>9</sup> has issued comprehensive guidelines and directives for the prevention, rehabilitation, and reintegration of victims of child marriages in India. The Supreme Court in part IX directed NALSA as under:

*“The National Legal Services Authority is directed to formulate a Standard Operating Procedure that provides comprehensive guidelines for legal support services, and long-term rehabilitation plans related to the prevention, protection, and rehabilitation of victims of child marriage for lawyers and law enforcement officers. NALSA is further directed to dispatch this SOP to all States and District Legal Services Authority where it may assist aggrieved victims.” (emphasis supplied)*

7. In view of the aforesaid mandate of the Apex Court, the NALSA has devised this Standard Operating Procedure (SOP) for the Prevention, Protection, & Rehabilitation of Child Marriages. This SOP creates an institutional framework and a mechanism to tackle child marriage by involving legal services institutions and strengthening inter-institution collaboration.
8. Therefore, a structured SOP is an imminent need to ensure a uniform, efficient, and legally sound response to prevent child marriages, protect child rights, and promote awareness at the community level. It fosters accountability and coordination among stakeholders, enabling effective enforcement of laws and support for affected individuals.

## **1. Objectives of the Standard Operating Procedure**

- 1.1 This SOP aims to raise awareness about the legal framework of the Prohibition of Child Marriage Act of 2006 and the Juvenile Justice (Care and protection of children) ACT, 2015.

<sup>8</sup> 2017 INSC 1030)

<sup>9</sup> 2024 INSC 790

- 1.2 It also intends to empower vulnerable groups and equip girls, boys, parents, guardians, and all stakeholders with the knowledge and resources to withstand societal and family pressure to engage in child marriage.
- 1.3 To promote an alternate strategy, including imparting vocational training and skill development to eliminate early marriage.
- 1.4 To create an institutional framework and strengthen coordination between the Government and non-government bodies and to create a platform for like-minded people and institutions to put an end to child marriages.
- 1.5 To initiate proactive steps and a multifaceted approach by stakeholders to tackle the issue of child marriage.
- 1.6 The SOP intends to take steps for the rehabilitation of victims of child marriage.

## **2. Definitions**

- 2.1 “Child” means a person who, if a male, has not completed twenty-one years of age, and if a female, has not completed eighteen years of age.
- 2.2 “Child Marriage” means a marriage to which either of the contracting parties is a child.
- 2.3 “Contracting party”, in relation to a marriage, means either of the parties whose marriage is or is about to be thereby solemnised.
- 2.4 “Child Marriage Prohibition Officer” includes the Child Marriage Prohibition Officer appointed under subsection (1) of section 16 of the Prohibition of Child Marriage Act 2006.
- 2.5 “Child Welfare Committee” - the state government shall by notification in the official gazette constitute for every district, one or more Child Welfare Committees for exercising the powers and to discharge the duties conferred on such Committees in relation to children in need of care and protection under this Act and ensure that induction training and sensitization of all members of the committee is provided within two months from the date of notification.

- 2.6 “Child Welfare Police Officer” - In every Police Station, at least one officer, not below the rank of assistant sub-inspector, with aptitude, appropriate training and orientation may be designed as the child welfare police officer to exclusively deal with children either as victims or perpetrators, in coordination with the police, voluntary and non-governmental organisations.
- 2.7 “District court” means, in any area for which a Family Court established under section 3 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984) exists, such as Family Court, and in any area for which there is no Family Court but a city civil court exists, that court and in any other area, the principal civil court of original jurisdiction and includes any other civil court which may be specified by the State. Government, by notification in the Official Gazette, as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in this Act.
- 2.8 “minor” means a person who, under the provisions of the Majority Act, of 1875 (9 of 1875), is to be deemed not to have attained his majority.
- 2.9 In this, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 unless the context otherwise requires, –
- (14) “child in need of care and protection” means a child–
- (xii) who is at imminent risk of marriage before attaining the age of marriage and whose parents, family members, guardians, and any other persons are likely to be responsible for the solemnization of such marriage.<sup>10</sup>
3. A victim of Child Marriage is any person who has been or was forced to marry before the age of marriage or the person whose marriage has been solemnised and the person whose marriage is likely to be attempted to be solemnized.
- 4. ASHA (Awareness, Support, Help, and Action) Unit.**
- 4.1. The Chairperson, DLSA shall, within one month of launching of this SOP, constitute a Special Unit to be called ASHA (Awareness, Support, Help, and Action) unit including:
- Principal District & Sessions Judge/Chairperson, DLSA,
  - Judicial officer in charge of family court in the district.
  - Secretary DLSA as secretary of the unit.

<sup>10</sup> Section 2 (14) (xii) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

- d. Ex-officio Chairman, TLSC as Member,
  - e. Chief Legal Aid Defense Counsel of the District.
  - f. Two panel lawyers to be nominated by the Chairman, DLSA as Members,
  - g. Four para legal volunteers to be nominated by the Chairman, DLSA as Members.
- 4.2. The ASHA unit may consist of the following members to be nominated by the Principal District & Sessions Judge/Chairperson, DLSA, including:
- a. District Magistrate or any other officer nominated by him, not below the rank of Additional District Magistrate (ADM),
  - b. District Education Officer (DEO),
  - c. District Child Protection Officer (DCPO),
  - d. Special Juvenile Police Unit (SJPU)
  - e. District Social Welfare Officer (DSWO)
  - f. Chief District Medical Officer (CDMO) or any other medical officer not below the rank of resident medical officer.
  - g. Superintendent of Police or an officer nominated by him, not below the rank of Sub-divisional police officer (SDPO) or Assistant commissioner of Police (ACP)
  - h. Child Marriage Prohibition Officer (CMPO)
- 4.3. If, due to exceptional circumstances, the Chairman, DLSA, is unable to constitute the ASHA unit with the prescribed number of members in accordance with the specified criteria, the Chairman may, with prior intimation to the Member Secretary, SLSA, appoint an alternative member deemed suitable.
- 5. Guidelines for Panel Lawyers & Para-legal Volunteers**
- 5.1. The Chairperson DLSA shall appoint two Panel lawyers in each taluk; preferably, at least one must be female to provide legal assistance to victims of child marriages, their families, and stakeholders.
  - 5.2. Panel lawyers and PLVs shall assist the complainant, with prior consent of the complainant, in obtaining protection orders, restraining orders, injunctions against Child Marriage, or any other ancillary or incidental orders as per the provisions of Prohibition of Child Marriage Act, 2006 or any other provision of law for the time being in force, upon receiving the information of the child marriage.
  - 5.3. In the case where victim of child marriage is pregnant and wish to abort the child, the panel lawyer, preferably female lawyer and in case the victim is not legally

represented and with her prior written consent of the victim, DLSAs shall assist the victim in filing the petition before the competent court. During this process, the panel lawyer shall maintain the confidentiality and privacy of the victims.

- 5.4. ASHA unit shall assist the victim of child marriage in matters pertaining to abortion/termination of pregnancy, adhering to the court orders, if any, and as per the provisions of the law for the time being in force.
- 5.5. ASHA unit shall nominate a government appointed child counsellor for the mental well-being of the child born out of child marriage above the age of 3 if required and necessary depending upon the fact and circumstances. and provide the necessary support to the child, In case the government appointed child counsellor is not available, then the ASHA unit, in coordination with the Chief Medical Officer and Child Marriage Prohibition officer, shall facilitate the appointment of a private child counsellor. The remuneration of the private counselor may be decided by the ASHA unit.
- 5.6. Panel lawyers and PLVs shall also facilitate shelter home accommodation in coordination with the Child Marriage Prohibition officer and CWC if the victim faces threats from her family or community.
- 5.7. The Chairman of the DLSA shall appoint two lawyers to offer legal counselling to help the child marriage victims and their families to understand the laws and procedures related to the prevention of Child Marriage.
- 5.8. ASHA unit to identify and facilitate the victims of child marriage who can be put in family foster care running under Mission Vatsalya, run by the Union Ministry of Women and Child Development.<sup>11</sup>

## **6. Prevention of Child Marriages**

- 6.1. ASHA unit shall ensure that complaints on child marriage cases are received and processed immediately to Child Marriage Prohibition officers, Superintendent of Police (SP), Secretary DLSA, and the Chief Medical officer of the district from where the complaint has been received.
- 6.2. ASHA unit shall also maintain the annual database of the cases of child marriages and the action taken on each complaint received to the unit in Bal Vivah

<sup>11</sup> See Clause 4 of the Model Foster Care Guidelines 2024 ([https://cara.wcd.gov.in/pdf/MODEL%20FOSTER CARE%20GUIDELINES,%202024.pdf](https://cara.wcd.gov.in/pdf/MODEL%20FOSTER%20CARE%20GUIDELINES,%202024.pdf))

Mukt Bharat Portal, run by Union Ministry of Women and Child Development, upon receiving the access of the above-mentioned portal from the ministry. The identity of the informant shall also not be disclosed and the confidentiality shall be maintained.

- 6.3. ASHA unit shall prepare their annual intervention plan for effective and targeted redressal of the child marriage cases and proper implementation of the present sop thereof.
- 6.4. ASHA unit shall communicate to all government servants, upon receiving information of the child marriage, immediately inform the concerned police station to rescue and rehabilitate the child.
- 6.5. ASHA unit shall create Awareness of (i) Helpline number -1098 by Ministry of Women & Child Development, Government of India  
(ii) Bal Vivah Mukt Bharat Portal for registering child marriage  
(iii) Helpline number 15100 for legal services assistance.
- 6.6 ASHA unit shall convene training programs for para-legal volunteers (PLVs), Anganwadi Workers, ASHA Workers, NGO workers, and other volunteers, if any to conduct special drives and awareness programs, especially in those areas where a high incidence of child marriage is reported.
- 6.7 ASHA unit shall appoint/ identify and train one PLV in each village to sensitize and keep an eye on the issue of child marriage. PLVs, in coordination with the Gram Pradhan/ Sarpanch/ Gram Sevak shall keep an intelligent check on the child marriages happening or likely to happen in the village. They shall maintain the confidentiality of the complainant/ informant and victim.
- 6.8 In case of Child Marriage, as soon as the PLVs receive information, they shall inform the DLSA secretary, Child Welfare Committee (CWC), and Station House officer (SHO) of the concerned police Station for prevention and rescue of the child.
- 6.9 ASHA unit shall also involve law students, law professors, and Students from social subjects, e.g., Master's in Social Work (MSW), in organizing awareness camps every month in the area with a high reported incidence of child marriage or quarterly in the other areas with a moderate number of cases of child marriage. Law students shall assist PLVs in community outreach and awareness works.

- 6.10. ASHA unit shall conduct awareness camps in schools and colleges. ASHA unit shall conduct at least one awareness camp per month in one school or college within their respective local jurisdiction.
- 6.11. ASHA unit shall devise an Education Program based on prevalent local customs, traditions, and usages to educate the masses on child marriage.
- 6.12. ASHA unit shall conduct awareness programs through local radio, Doordarshan channels, social media platforms, print and digital media, and nukkad natak (Street Plays) to educate the masses on the harmful impact of child marriage. These programmes shall be run by experts on child marriage involving lawyers, counsellors, medical practitioners, and local artists.
- 6.13. ASHA unit shall endeavor towards child marriage-free village initiative and shall organize targeted programs in coordination with the District Child Protection Officer, Sarpanch (local body), and law colleges.
- 6.14. ASHA unit shall regularly inspect places where child marriages are usually performed.
- 6.15. Research reveals that investment in education and awareness reduces the number of cases of child marriages.<sup>12</sup> The ASHA unit shall ensure that beneficiary schemes for the women and the provisions under the flagship scheme of Women & Child Development, i.e., Mission Vatsalya, and other relevant schemes of various government departments are being spread out to the victims of child marriages.
- 6.16. Furthering the Spirit of the Judgment in the Society of Enlightenment and Voluntary Action & Anr case. VS Union of India<sup>13</sup>, ASHA unit shall take steps to strengthen the coordination between the different Governmental bodies, working on the prevention and rehabilitation of child marriage at the district level.

<sup>12</sup> Vijendra Kumar “A decade of Progress: Child Marriages drop fivefold over the past decade in Khapland district of Haryana available at (<https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/a-decade-of-progress-child-marriages-drop-fivefold-over-the-past-decade-in-khapland-district-of-haryana/articleshow/116738813.cms>) 25.2.2025, See also Madhumita Paul Secondary Education can reduce Child Marriages by 66%: UNICEF available at (<https://www.downtoearth.org.in/governance/secondary-education-can-reduce-child-marriage-by-66-unicef-85205>)

<sup>13</sup> Society of Enlightenment and Voluntary Action & Anr case. VS Union of India 2024 INSC 790

## 7. Rehabilitation

- 7.1. For the purpose of rehabilitation, the following methods can be adopted:
- 7.2 ASHA unit in collaboration with the Principal, Government Schools & District Education officer shall conduct monthly Child Counselling to address underlying issues and develop coping skills.
- 7.3 ASHA unit shall appoint two counsellors to conduct counseling. The Counsellor shall also conduct Group Therapy to promote social Support.
- 7.4 ASHA unit shall appoint a counsellor to conduct Family Therapy to educate and involve family members in ensuring recovery from the trauma of child marriages.
- 7.5 With the guidance of a medical expert and psychological counsellor, Motivational interviewing enhances recovery by involving a career therapist and child psychologist.
- 7.6 ASHA unit shall organize Art, music, or recreational activities to promote creative expression and relaxation once a month by ensuring the participation of victims of child marriage in such programs.
- 7.7 ASHA unit shall create a **Monitoring and Mentorship body** in the district to follow up with the victims regularly and redress their concerns. The body shall include the DLSA Secretary, Child Marriage Prohibition Officer (CMPO), psychological counsellor, social workers, educationists, and a member from CWC, vocational trainers to impart necessary skills and ensure the continuity of education of victims of child marriages.
- 7.8 The members of this body shall be appointed by the ASHA unit.
- 7.9 The vocational training shall, among other things, include carpet making, embroidery, stitching, tailoring, computer courses, beautician courses, etc, and other courses that can make the victims of child marriage economically self-sufficient. Courses shall be in such nature which can offer employment at later stage.

- 7.10 ASHA unit and the Mentorship and Monitoring body shall organize monthly training programs under the National Skill Development for providing training to the victims of child marriage above the age of 16.
- 7.11 The Mentorship and Monitoring body shall collaborate with vocational training institutes at the regional level and with women's industrial training institutes to impart training to women. The Units shall also ensure that child marriage victims are provided with vocational training opportunities, linking them with skill development centers, apprenticeship programs, and government-backed employment schemes.
- 7.12 ASHA unit and the Mentorship and Monitoring body shall collaborate with the nationalized bank to offer preferably credit-free loans to support the entrepreneurship and individual venture of the victim of child marriage for economic self-sufficiency.
- 7.13 ASHA unit and monitoring and Mentorship body shall also popularise and connect the girl child with the financial incentive schemes that encourage education.
- 7.14 ASHA unit to provide financial assistance for educational needs and vocational training of victims of child marriage and children born out of child marriages. The amount of money to be given and the frequency of such help may be decided on the basis of facts and circumstances of each case, with prior approval from the respective SLSA. ASHA unit, in collaboration with the District Education officer, shall consider the possibility of offering scholarships or monthly stipends to the victims who escape or annul child marriages.
- 7.15 ASHA unit shall conduct monthly meetings at the end of each month to assess the mentorship needs of victims of child marriage and monitor the rehabilitation and action taken on the cases of child marriage within that month.
- 7.16 The Minutes of the Meeting shall be recorded for record purposes.

## **8. Compliance Mechanism & Impact Assessment:**

- 8.1. The Member Secretary of SLSA shall conduct half-yearly assessments of the legal services, assistance, help, and support provided by the ASHA units in the respective state to the child marriage victims.

8.2. The ASHA unit shall maintain a record in the following format:

8.2.1 Name of the ASHA unit:

**8.2.2 Legal Services:**

| Number of Victims identified or approached. | Number of Victims who were assisted/ helped by the ASHA unit | Kind of Assistance / help Provided. |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                             |                                                              |                                     |

**8.2.3. Rehabilitation**

| The number of victims who are provided counselling. | Number of victims who are provided vocational or skills training | Kind of Training/whether vocational/regular provided to the victims. | Number of victims who were provided safe space/ rescue centres | Number of victims who were dropped from school/ who were admitted later with the intervention of ASHA unit. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                  |                                                                      |                                                                |                                                                                                             |
|                                                     |                                                                  |                                                                      |                                                                |                                                                                                             |

**8.2.4 Awareness**

| Number of awareness camps organized | The number of Awareness Camps organized in schools/ educational institutions/religious institutions. | The number of programs conducted through Radio/ Television and other digital means. | Number of Special drives conducted: |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                                                                                      |                                                                                     |                                     |

- 8.3. ASHA unit shall half-yearly submit the records maintained to their respective SLSAs.
- 8.4. SLSA, after receiving data from the ASHA unit, shall submit the report to NALSA at the end of every year in the format mentioned above.
- 8.5. All expenditures to be incurred for implementing the SOP shall be borne from the grants in aid funds after the approval of the Hon. Executive Chairperson of the respective SLSA.
- 8.6. ASHA unit, in consultation with SLSA and intimation to SLSA, may fix the honorarium of the members of different units to be made functional under the SOP.
- 8.7. ASHA unit to also provide for the travel and other miscellaneous expenses to the PLVs and other members as per the specified state government rates, as and when required.

Child marriage is totally unacceptable. It is a practice that robs millions of girls of their childhood, education, and opportunities.

Desmond Tutu,  
the South African human right activist and Nobel Laureate

"When you educate a girl, you educate a family, a community, and a nation. Child marriage denies girls that chance."

Kofi Annan  
(Former Secretary General of the United Nations)

## NOTES

[illegible]



नालसा (आशा-जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई)  
मानक संचालन प्रक्रिया-बाल विवाह से मुक्ति की ओर अग्रसर, 2025

**राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)**





**राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**  
**NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY**  
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

**एस. सी. मुनघाटे**  
**S. C. MUNGHATE**  
(Principal District Judge)  
**सदस्य सचिव**  
**MEMBER SECRETARY**  
(In-charge)

B-Block, Ground Floor,  
Administrative Buildings Complex,  
Supreme Court of India, New Delhi-110001

Ground Floor, Double Storey,  
Jaisalmer House, 26, Mansingh Road,  
New Delhi-110011

संदेश

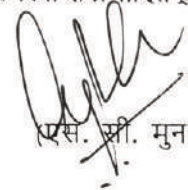
बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं। भारत में दुनिया के लगभग 19% बच्चे रहते हैं। उनके अधिकारों की रक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए अनिवार्यता बन जाती है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर बच्चे कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें से एक प्रमुख चुनौती बाल विवाह की समस्या है।

भारत में बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या होने के साथ-साथ एक अपराध भी है। एक प्रमुख वैश्विक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के एक-तिहाई बाल दुल्हन भारत में हैं, जिससे यह बचपन में विवाह करने वाली महिलाओं और लड़कियों की सबसे अधिक संख्या वाला देश बन जाता है। बाल विवाह बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई पर गंभीर प्रभाव डालता है।

बाल विवाह की समस्या की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपने फैसले में विचार किया है। हाल ही में, "सोसायटी ऑफ एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम भारत संघ (2024 INSC 790)" मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने, पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः स्थापित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय के अनुपालन में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने "NALSA ASHA (अवेयरनेस, सपोर्ट, हेलप एंड एक्शन) मानक संचालन प्रक्रिया -2025" तैयार किया। यह मानक संचालन प्रक्रिया बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने का लक्ष्य रखता है।

यह एक मानकीकृत, प्रभावी और कानूनी रूप से मजबूत दृष्टिकोण स्थापित करता है, जो बाल विवाह की रोकथाम, बच्चों के अधिकारों की रक्षा और समुदायों के भीतर जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। यह हितधारकों के बीच जवाबदेही और समन्वय को बढ़ाकर कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है और प्रभावित व्यक्तियों को व्यापक समर्थन प्रदान करता है।

आशा है कि "आशा" वास्तव में उन लोगों के लिए उम्मीद लेकर आएगी जो इस समस्या से प्रभावित हैं और उन्हें अपना भविष्य फिर से संवारने का अवसर प्रदान करेगी।

  
एस. सी. मुनघाटे



## क्रम सूची

### बाल विवाह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

| क्र.सं. | विवरण                                                             | पृष्ठ सं. |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.      | पृष्ठभूमि                                                         | 7         |
| 2.      | मानक संचालन प्रक्रिया के उद्देश्य                                 | 9         |
| 3.      | परिभाषा                                                           | 10        |
| 4.      | आशा (जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई)<br>इकाई I (ASHA Unit)  | 11        |
| 5.      | पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों<br>के लिए दिशानिर्देश        | 12        |
| 6.      | बाल विवाह की रोकथाम                                               | 14        |
| 7.      | पुनर्वास                                                          | 17        |
| 8.      | अनुपालन तंत्र एवं मानक संचालन प्रक्रिया<br>के प्रभाव के मूल्यांकन | 19        |



## 1. पृष्ठभूमि

1. भारत में बाल विवाह एक सामाजिक संकट के साथ-साथ एक अपराध भी है। 2023<sup>1</sup> की संयुक्त राष्ट्र चिल्ड्रन फंड (यूनिसेफ) की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया के तीन बाल विवाह में से एक के लिए जिम्मेदार है। भारत में बचपन में शादी करने वाली लड़कियों और महिलाओं का बड़ा समूह है। यूनिसेफ के अनुसार, 20 से 24 वर्ष के उम्र के बीच लगभग 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष के उम्र (ग्रामीण क्षेत्रों में 27% और शहरी क्षेत्रों में 14% से पहले हुई थी।<sup>2</sup>
2. यूनिसेफ की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बाल दुल्हनों में वें लड़कियां शामिल हैं, जो 18 की उम्र से पहले शादी करती हैं एवं वें महिलाएं हैं जिनकी शादी बच्चों के रूप में की गई थी। स्थानीय रीति-रिवाजों और सामुदायिक संरचना से प्रभावित, भारत में बाल विवाह की व्यापकता अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप में 1% की तुलना में, पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में 18 साल की उम्र से पहले कम से कम 40 प्रतिशत युवा महिलाओं की शादी हुई थी।<sup>3</sup>
3. बाल विवाह के कारण बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य में कई मुश्किलें आती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की, बाल दुल्हनों (चाइल्ड ब्राइड्स) के मुद्दे से निपटने वाली एक रिपोर्ट में, पाया गया कि दुनिया भर में 11% जन्म किशोरों में है, लेकिन वे कुल बीमारियों के बोझ का 23% हैं। इसलिए, एक बाल दुल्हन एक वयस्क महिला की तुलना में स्वास्थ्य समस्याओं से दोगुना प्रभावित होती है।<sup>4</sup> इसके अलावा, एक अन्य प्रमुख वैश्विक संगठन, विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि बाल विवाह समय से पहले प्रसव का प्रमुख कारक है, जिसमें 25 देशों के एक आकलन के साथ यह दिखाया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के 84 प्रतिशत माताओं को बच्चे के रूप में शादी की गई थी।<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ending Child Marriage: A profile of progress in India (UNICEF 2023) <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india-2023/> (Last accessed 20.12.2024)

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> World Health Organisation Report on “Early Marriages, Adolescent and Young Pregnancies”, Sixty-Fifth World Health Assembly ([https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/wha65/a65\\_13-en.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha65/a65_13-en.pdf)) (Last accessed 20.12.2024).

<sup>5</sup> Helene Gayle, John Hammergren, Her Health, Her Lifetime, Her World Unlocking the Potential of Adolescent Girls and Young Women Centre for Strategic & International Studies [https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170317\\_Gayle\\_UnlockingThePotential\\_Web.pdf](https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170317_Gayle_UnlockingThePotential_Web.pdf) (Last accessed 20.12.2024).

4. 2011 की जनगणना के मुताबिक 10–19 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 17 मिलियन बच्चों की शादी भारत में हुई थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019–21 (एनएचएस) का यह अनुमान है कि 20–24 वर्ष की आयु की 23.3 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई थी।<sup>6</sup> राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की एक हालिया रिपोर्ट ने 11.4 लाख से अधिक बच्चे पहचान की है, जो बाल विवाह के प्रति संवेदनशील हैं।<sup>7</sup>
5. सुप्रीम कोर्ट ने इसे जरूरी विषय मानते हुए अपने निर्णयों में बाल विवाह के मुद्दे पर चर्चा की है। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया<sup>8</sup> के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह के कुप्रभाव को पहचाना और यह माना कि बाल विवाह ने, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सहित, जीवन के सभी पहलुओं में लड़कियों को समानता से वंचित कर दिया है।
6. हाल ही में, सोसाइटी ऑफ एनलाइटेनमेंट एंड वोलंटरी एक्शन बनाम भारत सरकार<sup>9</sup> के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह के रोकथाम, बचाव एवं पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं। भाग IX में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया:

“राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यह मानक संचालन प्रक्रिया कानूनी सहायता सेवाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करेगी और वकीलों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए बाल विवाह के पीड़ितों की रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाएं को भी शामिल करेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को आगे सभी राज्यों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को इस मानक संचालन प्रक्रिया को भेजने के लिए निर्देशित किया गया है, जहां यह पीड़ितों की सहायता कर सकता है।” (जोर दिया गया)

7. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश की अनुपालना करते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल विवाह के रोकथाम, संरक्षण एवं पीड़ितों के पुनर्वास के लिए इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को तैयार किया है, यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) कानूनी सेवा संस्थानों को आधार बनाकर अंतर-संस्था सहयोग को मजबूत करता है, एवं बाल विवाह से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा एवं तंत्र का निर्माण करता है।

<sup>6</sup> Sandeep Chachra & Ghasiram Panda Ending Child Marriage in India- Reflections on the Recent Supreme Court Judgement <https://www.actionaidindia.org/ending-child-marriage-in-india-reflections-on-the-recent-supreme-court-judgement/> (Last accessed 20.12.2024).

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> 2017 INSC 1030),

<sup>9</sup> 2024 INSC 790

8. इसलिए, एक संरचित मानक संचालन प्रक्रिया बाल विवाह को रोकने, बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, समान, कुशल और कानूनी रूप से सुदृढ़ प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह हितधारकों के बीच जवाबदेही और समन्वय को बढ़ावा देता है, साथ ही यह कानूनों के प्रभावी क्रियान्वन को सक्षम करता है एवं प्रभावित व्यक्तियों की मदद सुनिश्चित करता है।

1. मानक संचालन प्रक्रिया के उद्देश्य

- 1.1. इस मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य, 2006 के बाल विवाह निषेध अधिनियम के कानूनी ढांचे और जुवेनाइल जस्टिस (देखभाल और संरक्षण के बच्चों), अधिनियम, 2015 के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- 1.2. इसका उद्देश्य, संवेदनशील समूहों को सशक्त बनाने और लड़कियों, लड़कों, माता-पिता, अभिभावकों और सभी हितधारकों (Stakeholders) को ज्ञान और संसाधनों के साथ बाल विवाह के लिए, सामाजिक और पारिवारिक दबाव का सामना करने के लिए सशक्त बनाना है।
- 1.3. बाल विवाह को खत्म करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सहित, एक वैकल्पिक रणनीति को बढ़ावा देना इस मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य है।
- 1.4. इसका उद्देश्य, एक संस्थागत ढांचा बनाना एवं सरकारी और गैर-सरकारी निकायों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, और समान विचारधारा वाले लोगों और संस्थानों के लिए एक मंच बनाना भी इसका लक्ष्य है।
- 1.5. इसका उद्देश्य बाल विवाह के मुद्दे से निपटने के लिए हितधारकों (Stakeholders) की मदद से सक्रिय उपायों एवं बहुमुखी दृष्टिकोण की शुरुआत करना है।
- 1.6. इसका उद्देश्य बाल विवाह पीड़ितों, के लिए पुनर्वास के कदम उठाना है।

## 2. परिभाषा

- 2.1. “बालक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
- 2.2. “बाल- विवाह” से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है।
- 2.3. विवाह के संबंध में “बंधन में आने वाले पक्षकार” से पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है।
- 2.4. बाल विवाह निषेध अधिकारी “में बाल विवाह निषेध अधिकारी शामिल हैं, जो बाल विवाह अधिनियम 2006 के निषेध की धारा 16 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त किया गया है।
- 2.5. बाल कल्याण समिति-राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के सम्बन्ध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की, अधिसूचना की तारीख से दो मास के भीतर व्यवस्था की जाए।
- 2.6. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी-प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उपनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति ज्ञान हो, पुलिस स्वैच्छिक और गैर-सामाजिक संगठनों के समन्वय से अनन्य रूप से बालकों पर या तो पीड़ितों और अपराधियों के रूप में कार्रवाई करने के लिए, कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।
- 2.7. जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में, जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय, और किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ कुटुंब न्यायालय नहीं हैं, किन्तु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है वहां न्यायालय किसी अन्य क्षेत्र में, आरंभिक आधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में आधिकारिता है, जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है।

- 2.8. अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है।
- 2.9. किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण बच्चों की देखभाल) अधिनियम, 2015 में जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता न हो,
- (14) "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता बाला बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है।
- (xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम (जिसके ऊपर बाल विवाह का खतरा हो) (imminent need) है और जिसके माता पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक, और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की सम्भावना है।<sup>10</sup>
3. बाल विवाह का पीड़ित कोई भी व्यक्ति है जो शादी की उम्र से पहले या उस व्यक्ति की शादी से पहले शादी करने के लिए मजबूर किया गया है या जिस व्यक्ति की शादी हो चुकी है और जिस व्यक्ति की शादी का प्रयास किया जा सकता है।
4. आशा (जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई) इकाई। (ASHA Unit)
- 4.1. चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इस मानक संचालन प्रक्रिया के उद्घाटन करने के एक महीने के भीतर, एक विशेष इकाई का गठन करेंगे, जिसे आशा (जागरूकता, समर्थन, सहायता और एक्शन) इकाई कहा जाएगा : इनमें निम्न सदस्य होंगे:
- अ. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
- आ. जिला स्तर पर परिवार न्यायालय के प्रभारी न्यायिक अधिकारी,
- इ. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) इकाई के सचिव के रूप में होंगे,
- ई. तहसील विधिक सेवा समिति (TLSC) के पदेन अध्यक्ष, सदस्य के रूप में,
- उ. जिले के मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता,
- ऊ. दो पैनल अधिवक्ता, जिन्हें अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा
- ऋ. चार पैरा लीगल वॉलंटियर, जिन्हें अध्यक्ष, DLSA द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा

<sup>10</sup> Section 2 (14) (xii) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

4.2. आशा इकाई में निम्नलिखित सदस्यों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा नामित किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं:

- अ. जिला अधिकारी या उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) के पद से नीचे नहीं हों,
- आ. जिला शिक्षा अधिकारी,
- इ. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO),
- ई. विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU),
- उ. जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO),
- ऊ. मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (CDMO) या कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी जो निवासी चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे नहीं हो,
- ऋ. पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित एक अधिकारी जो उप-संभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) या सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के पद से नीचे नहीं हो,
- ल. बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO)।

4.3. यदि, असाधारण परिस्थितियों के कारण, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (DLSA), निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सदस्यों की निर्धारित संख्या के साथ, आशा (ASHA) इकाई का गठन करने में असमर्थ होते हैं, तो अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) को पूर्व सूचना के साथ, वैकल्पिक सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं।

## 5. पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के लिए दिशानिर्देश

5.1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष, प्रत्येक तालुक में दो पैनल वकीलों की नियुक्ति करेंगे। इनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए, ताकि बाल विवाह की पीड़िताओं, उनके परिवारों और संबंधित हितधारकों (Stakeholders) को विधिक सहायता प्रदान की जा सके।

- 5.2. बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर, पैनल वकील और पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs) शिकायतकर्ता की पूर्व सहमति से, उसे संरक्षण आदेश, प्रतिबंध आदेश, बाल विवाह के विरुद्ध निषेधाज्ञा, या अन्य सहायक अथवा संबंधित आदेश प्राप्त करने में सहायता करेंगे। यह सहायता बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 या वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य विधिक प्रावधान के तहत प्रदान की जाएगी।
- 5.3. यदि बाल विवाह की पीड़िता गर्भवती हो, और वह गर्भपात कराना चाहती हो, तो पैनल वकील, विशेषतः महिला वकील, और यदि पीड़िता के पास कोई कानूनी प्रतिनिधि न हो, तो उस परिस्थिति में, पीड़िता की पूर्व लिखित सहमति के साथ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) पीड़िता को सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करने में सहायता करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान, पैनल वकील को पीड़िता की गोपनीयता और निजता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- 5.4. आशा इकाई (ASHA Unit) बाल विवाह की पीड़िता को गर्भपात/गर्भावस्था समाप्ति से संबंधित मामलों में, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए तथा वर्तमान में लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हुए सहायता प्रदान करेगी।
- 5.5. आशा इकाई (ASHA Unit) आवश्यकतानुसार और परिस्थितियों के आधार पर, बाल विवाह से जन्मे 3 वर्ष से अधिक के आयु के बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सरकारी नियुक्त बाल परामर्शदाता (Child Counsellor) नियुक्त करेगी जो, बच्चे को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यदि कोई सरकारी नियुक्त बाल परामर्शदाता उपलब्ध नहीं है, तो आशा इकाई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer) और बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer) के समन्वय में, एक निजी बाल परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। निजी परामर्शदाता का पारिश्रमिक आशा इकाई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- 5.6. यदि बाल विवाह की पीड़िता को उसके परिवार या समुदाय से किसी प्रकार का खतरा हो, तो पैनल वकील और पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs), बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer) और बाल कल्याण समिति (CWC) के समन्वय में, उसे आश्रय गृह (shelter home) में सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे।

- 5.7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष, बाल विवाह पीड़िताओं और उनके परिवारों को कानूनी परामर्श प्रदान करने के लिए दो वकीलों की नियुक्ति करेंगे। ये वकील बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित कानूनों, और प्रक्रियाओं की जानकारी देने में सहायता करेंगे, ताकि पीड़ित और उनके परिवार अपने अधिकारों और कानूनी उपायों को बेहतर तरीके से समझ सकें।
- 5.8. आशा इकाई (ASHA Unit) बाल विवाह पीड़िताओं की पहचान कर उन्हें परिवारिक पालन-पोषण (Family Foster Care) में रखने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya)<sup>11</sup> के तहत संचालित किया जाता है।

## 6. बाल विवाह की रोकथाम

- 6.1. आशा इकाई (ASHA Unit) यह सुनिश्चित करेगी कि बाल विवाह से संबंधित शिकायतें तुरंत बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer), पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police-SP), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव, और संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer & CMO) को भेजी जाएं और त्वरित रूप से प्रक्रिया में लाई जाएं।
- 6.2. आशा इकाई (ASHA Unit) प्रत्येक वर्ष बाल विवाह से संबंधित मामलों और प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का एक वार्षिक डेटा बेस संकलित करेगी। यह डेटा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (Bal Vivah Mukt Bharat Portal) पर इसका एक्सेस मिलने के उपरांत अपलोड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सूचना देने वाले व्यक्ति (informant) की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, एवं उसकी गोपनीयता (confidentiality) पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी।
- 6.3. आशा इकाई (ASHA Unit) प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक हस्तक्षेप योजना (Annual Intervention Plan) तैयार करेगी, ताकि बाल विवाह के मामलों के प्रभावी और लक्षित निवारण (targeted redressal) को सुनिश्चित किया जा सके और वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उचित क्रियान्वयन एवं प्रभावी ढंग से इसे लागू किया जा सके।

<sup>11</sup> See Clause 4 of the Model Foster Care Guidelines 2024 ([https://cara.wcd.gov.in/pdf/MODEL%20FOSTER CARE%20GUIDELINES,%202024.pdf](https://cara.wcd.gov.in/pdf/MODEL%20FOSTER%20CARE%20GUIDELINES,%202024.pdf))

- 6.4. आशा इकाई (ASHA Unit) सभी सरकारी अधिकारियों को यह सूचना प्रेषित करेगी कि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही, तुरंत संबंधित पुलिस थाना को सूचित करें, ताकि बच्चे को बचाया (rescue) जा सके और पुनर्वास (rehabilitation) की उचित व्यवस्था की जा सके।
- 6.5. आशा इकाई (ASHA Unit) निम्नलिखित हेल्पलाइन और पोर्टल के बारे में जागरूकता (Awareness) फैलाएगी। (i) हेल्पलाइन नंबर – 1098: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित, जो बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन सहायता के लिए उपलब्ध है। (ii) बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (Bal Vivah Mukht Bharat Portal): बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पोर्टल। (iii) हेल्पलाइन नंबर – 15100: कानूनी सहायता (Legal Services Assistance) प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का टोल-फ्री हेल्पलाइन।
- 6.6. आशा इकाई (ASHA Unit), पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLVs), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के कार्यकर्ताओं, और अन्य स्वयंसेवकों (यदि कोई हों तब) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programs) आयोजित करेगी। यह प्रशिक्षण, विशेष अभियान (Special Drives) और जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Programs) संचालित करने के उद्देश्य से होगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बाल विवाह की घटनाएं अधिक संख्या में रिपोर्ट की जाती हैं।
- 6.7. आशा इकाई (ASHA Unit), प्रत्येक गांव में एक पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLV) की नियुक्ति/पहचान करेगी और उन्हें प्रशिक्षित करेगी, ताकि वे बाल विवाह के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और सतर्क निगरानी रखने का कार्य कर सकें। पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs) ग्राम प्रधान/सरपंच/ग्राम सेवक के समन्वय में, गांव में होने वाले या संभावित बाल विवाहों पर सूझबूझपूर्ण निगरानी (intelligent check) रखेंगे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता (Complainant)/ सूचना देने वाले (Informant) और पीड़िता (Victim) की गोपनीयता (Confidentiality) को पूर्ण रूप से बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- 6.8. बाल विवाह के मामले में, जैसे ही पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLV) को सूचना प्राप्त होती है, वे तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव, बाल कल्याण समिति (CWC), संबंधित पुलिस थाना के स्टेशन हाउस अधिकारी, (SHO) को सूचित करेंगे, ताकि बाल विवाह को रोका जा सके और बच्चे को बचाया जा सके।

- 6.9. आशा इकाई (ASHA Unit) कानून के छात्र, विधि संकाय के प्रोफेसर, और सामाजिक विषयों के छात्र (जैसे मास्टर इन सोशल वर्क – MSW) को अपने कार्यक्रमों में शामिल करेगी, ताकि वे जागरूकता शिविर (Awareness Camps) आयोजित करने में सहयोग कर सकें। उच्च बाल विवाह दर वाले क्षेत्रों में प्रत्येक माह जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। मध्यम स्तर के बाल विवाह मामलों वाले क्षेत्रों में प्रति तिमाही (Quarterly) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कानून के छात्र (Law Students) समुदाय तक पहुंचने (Community Outreach) और जागरूकता अभियानों (Awareness Works) में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLVs) की सहायता करेंगे।
- 6.10. आशा इकाई (ASHA Unit), स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता शिविरों का संचालन करेगी। आशा इकाई अपने संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर एक स्कूल या कॉलेज में प्रति माह कम से कम एक जागरूकता शिविर आयोजित करेगी।
- 6.11. आशा इकाई (ASHA Unit), स्थानीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रचलित सामाजिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा कार्यक्रम (Education Program) तैयार करेगी, जिससे आम जनता को बाल विवाह के दुष्प्रभावों और कानूनी प्रतिबंधों के बारे में शिक्षित किया जा सके।
- 6.12. आशा यूनिट (ASHA Unit), स्थानीय रेडियो, दूरदर्शन चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, प्रिंट और डिजिटल मीडिया, और नुक्कड़ नाटक (स्ट्रीट प्ले) के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि बाल विवाह के हानिकारक प्रभाव पर जनता को शिक्षित किया जा सके। इन कार्यक्रमों को बाल विवाह के विशेषज्ञों द्वारा चलाया जाएगा जिसमें वकील, परामर्शदाता, (Counsellor), मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और स्थानीय कलाकार शामिल हैं।
- 6.13. आशा इकाई (ASHA Unit), “बाल विवाह मुक्त गांव” (Child Marriage&Free Village) पहल को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहेगी और इसके लिए लक्षित कार्यक्रमों (Targeted Programs) का आयोजन करेगी। यह कार्यक्रम जिला बाल संरक्षण अधिकारी (District Child Protection Officer), सरपंच (स्थानीय निकाय), और विधि महाविद्यालयों (Law Colleges) के समन्वय से संचालित किए जाएंगे।
- 6.14. आशा इकाई (ASHA Unit), नियमित रूप से उन स्थानों का निरीक्षण करेगी, जहां आमतौर पर बाल विवाह संपन्न कराए जाते हैं।

- 6.15. शोध से पता चलता है कि, शिक्षा और जागरूकता में निवेश करने से बाल विवाह के मामलों में कमी आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, आशा इकाई (ASHA Unit) यह सुनिश्चित करेगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना “मिशन वात्सल्य” (Mission Vatsalya) के अंतर्गत उपलब्ध लाभ और अलग अलग विभागों के अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी बाल विवाह पीड़ितों तक पहुंचाई जाए। बाल विवाह से प्रभावित पीड़ितों के लिए एवं महिलाओं के लिए मौजूद, कल्याणकारी योजनाओं (Beneficiary Schemes) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि पीड़ित लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
- 6.16. “सोसाइटी ऑफ इनलाइटेनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एवं अन्य बनाम भारत संघ” के मामले में दिए गए निर्णय की भावना को आगे बढ़ाते हुए, आशा इकाई (ASHA Unit), बाल विवाह की रोकथाम और पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

## 7. पुनर्वास

- 7.1. पुनर्वास (Rehabilitation) के उद्देश्य से निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता है:
- 7.2. आशा इकाई (ASHA Unit), सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, (Government Schools) और जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) के सहयोग से मासिक बाल परामर्श (Monthly Child Counselling) सत्र आयोजित करेगी।
- 7.3. आशा इकाई (ASHA Unit), दो परामर्शदाताओं (Counsellors) की नियुक्ति करेगी, जो परामर्श सत्र (Counseling Sessions) का संचालन करेंगे। ये परामर्शदाता (Counsellor) सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, समूह थेरेपी (Group Therapy) भी प्रदान करेंगे।
- 7.4. आशा इकाई (ASHA Unit), बाल विवाह के मानसिक प्रभाव (ट्रौमा) से पीड़ितों को बाहर लाना सुनिश्चित करने में परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने और शामिल करके पारिवारिक थेरेपी का संचालन करने के लिए एक परामर्शदाता (Counsellor) नियुक्त करेगी।

- 7.5. एक चिकित्सा विशेषज्ञ (medical expert) और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता (Psychological Counsellor) के मार्गदर्शन के साथ, प्रेरक साक्षात्कार एवं कैरियर थेरापिस्ट और बाल मनोवैज्ञानिक की मदद से बाल विवाह पीड़ितों को उसके मानसिक स्वस्थ पर हुए दुष्प्रभाव से बाहर निकलने में मदद करता है।
- 7.6. आशा इकाई, रचनात्मक कार्यक्रमों में बाल विवाह के पीड़ितों की , भागीदारी सुनिश्चित करके महीने में एक बार रचनात्मक अभिव्यक्ति और विश्राम को बढ़ावा देने के लिए कला, संगीत या मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करेगी।
- 7.7. आशा यूनिट, नियमित रूप से बाल विवाह पीड़ितों को अपनी चिंताओं का निवारण करने के लिए जिले में एक निगरानी और मेंटरशिप निकाय (Monitoring and Mentorship body) बनाएगी। इस निकाय में डीएलएसए सचिव, (DLSA Secretary) बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ), बाल कल्याण समिति के सदस्य, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविदों और व्यावसायिक प्रशिक्षक शामिल होंगे, जो बाल विवाह के पीड़ितों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे एवं आवश्यक कौशल प्रदान करेंगे।
- 7.8. इस निगरानी और मेंटरशिप निकाय (Monitoring and Mentorship body) के सदस्यों की नियुक्ति आशा इकाई (ASHA Unit) करेगी।
- 7.9. अन्य चीजों के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण में, कालीन बनाना, कढ़ाई, सिलाई, सिलाई, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम, आदि और अन्य पाठ्यक्रम शामिल होंगे जो बाल विवाह के पीड़ितों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। पाठ्यक्रम ऐसी प्रकृति में हो, जो बाद में रोजगार प्रदान कर सके।
- 7.10. आशा इकाई और मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग निकाय, 16 साल से ऊपर बाल विवाह के पीड़ितों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास के तहत मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
- 7.11. महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, मेंटरशिप और मॉनिटरिंग निकाय, (Mentorship and Monitoring Body) क्षेत्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ एवं महिलाओं के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग (Collaborate) करेगा। यह इकाई यह भी सुनिश्चित करेगी कि बाल विवाह पीड़ितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएँ, एवं उन्हें कौशल विकास केंद्रों, प्रशिक्षुता कार्यक्रमों और सरकार द्वारा समर्थित रोजगार योजनाओं के साथ जोड़ा जाएँ।

- 7.12. आशा इकाई और मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग निकाय (Mentorship and Monitoring Body), आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बाल विवाह के शिकार पीड़ितों की उद्यमशीलता और व्यक्तिगत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट-मुक्त ऋण प्रदान (Preferably to provide credit free loan) करने के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ सहयोग करेगा।
- 7.13. आशा यूनिट (ASHA unit) एवं मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग बॉडी (Mentorship and Monitoring Body) शिक्षा को प्रोत्साहित करने और वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के साथ लड़कियों को जोड़ने का काम करेगी।
- 7.14. आशा इकाई, बाल विवाह के पीड़ितों एवं बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों के शैक्षिक आवश्यकताओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्तीय सहायता के लिए दी जाने वाली धनराशि और इस तरह की मदद की आवृत्ति (frequency) संबंधित एसएलएसए (SLSA) से पूर्व अनुमति के साथ, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय की जा सकती है। आशा यूनिट, जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से, बाल विवाह के पीड़ितों या बाल विवाह से बच निकले या/विवाह निरस्त करके निकले पीड़ितों को छात्रवृत्ति या मासिक वजीफा/स्कालरशिप (stipend) देने की संभावना पर विचार करेगी।
- 7.15. आशा इकाई (ASHA Unit), बाल विवाह के पीड़ितों के विभिन्न सहयोग के जरूरतों का आकलन करने के लिए, प्रत्येक महीने के अंत में मासिक बैठकें करेगी और, उस महीने के भीतर बाल विवाह के मामलों पर किए गए पुनर्वास और कार्रवाई की निगरानी करेगी।
- 7.16. इन बैठकों के मिनटों को रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए दर्ज किया जाएगा।
8. अनुपालन तंत्र एवं मानक संचालन प्रक्रिया के प्रभाव के मूल्यांकन
  - 8.1. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) बाल विवाह के पीड़ितों को संबंधित राज्य में, आशा (ASHA) इकाइयों द्वारा प्रदान की गई कानूनी सेवाओं, सहायता और समर्थन का आकलन करेंगे।
  - 8.2. आशा इकाई निम्नलिखित प्रारूप में एक रिकॉर्ड बनाए रखेगी:
    - 8.2.1. आशा यूनिट का नाम :

### 8.2.2.कानूनी सेवा

|                                                                                            |                                                                 |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| पहचान की गयी पीड़ितों की संख्या/या कानूनी सेवा के लिए संपर्क करने वाली पीड़ितों की संख्या। | पीड़ितों की संख्या जिन्हें आशा इकाई द्वारा सहायता/मदद की गई थी। | मदद के प्रकार/प्रदान की गयी सहायता के प्रकार |
|                                                                                            |                                                                 |                                              |

### 8.2.3.पुनर्वास

|                                                          |                                                                |                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परामर्श (Counselling) प्रदान किये गए पीड़ितों की संख्या। | व्यावसायिक या कौशल प्रशिक्षण प्रदान की गयी पीड़ितों की संख्या। | पीड़ितों को प्रदान किये गए प्रशिक्षण के प्रकार/क्या यह व्यावसायिक प्रशिक्षण था या/नियमित प्रशिक्षण है। | पीड़ितों को संख्या जिन्हें सुरक्षित स्थान/ बचाव केंद्र मुहैया किये गए थे | उन पीड़ितों की संख्या जो स्कूल से किसी कारणवश बाहर हो गए हों (dropped out)/ जिन्हें बाद में आशा इकाई के हस्तक्षेप से दाखिला कराया गया। |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2.4.जागरुकता कार्यक्रम

|                                          |                                                                                     |                                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| आयोजित की गयी जागरुकता शिविरों की संख्या | स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों/धार्मिक संस्थानों में आयोजित जागरुकता शिविरों की संख्या। | रेडियो/टेलीविजन और अन्य डिजिटल साधनों के माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों की संख्या। | आयोजित विशेष ड्राइव (Special drives) की संख्या। |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- 8.3. आशा इकाई, अपने संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को (SLSAs) अर्ध-वार्षिक रिकॉर्ड जमा करेगी।
- 8.4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA), आशा इकाई (ASHA Unit) से डेटा प्राप्त करने के बाद, ऊपर दिए गए प्रारूप में हर साल के अंत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को रिपोर्ट जमा करेगा।
- 8.5. इस मानक संचालन प्रक्रिया, (एसओपी) को लागू करने के लिए किए जाने वाले सभी व्यय को संबंधित एसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष, की मंजूरी के बाद सहायता निधि – अनुदान से वहन किया जाएगा (grants in aid funds)।
- 8.6. आशा यूनिट (ASHA Unit), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के परामर्श में एवं उन्हें सूचना देकर, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्यात्मक (functional) बनाने के लिए विभिन्न इकाइयों के सदस्यों के मानदेय को निश्चित कर सकती है।
- 8.7. आशा यूनिट (ASHA Unit), निर्दिष्ट राज्य सरकार की दरों के अनुसार, पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLVS) और अन्य सदस्यों को यात्रा और अन्य विविध खर्चों के लिए आवश्यकता अनुसार, भत्ते प्रदान करेगी।

“बाल विवाह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह एक ऐसी प्रथा है जो लाखों लड़कियों से उनका बचपन, शिक्षा और अवसर छीन लेती है।”

डेसमंड टुटू  
दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता

“जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं, तो आप एक परिवार, एक समुदाय और एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। बाल विवाह लड़कियों से यह अवसर छीन लेता है।”

कोफी अन्नान  
(संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव)

[illegible]

# टिप्पणियाँ

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the page.